(3)

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
07.06.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रतिवादी **श्री आशिष मिश्रा, मेसर्स महाराज होटल, चाँदनी चौक, खरसावाँ, जिला- सरायकेला-खरसावाँ** उपस्थित है। इनके द्वारा शपथ पत्र सं0–2824, दिनांक 06.06.2023 के द्वारा शपथ पूर्वक निम्न घोषणा किये हैं – 1. यह कि, **श्री आशिष मिश्रा, मेसर्स महाराज होटल, चाँदनी चौक, खरसावाँ, जिला- सरायकेला-खरसावाँ** का निवासी हैं। 2. ये मेसर्स महाराज होटल, चाँदनी चौक, खरसावाँ, जिला- सरायकेला-खरसावाँ का संचालक एवं मालिक हैं। 3. अज्ञानता के कारण इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। 4. इनके द्वारा क्षमा याचना की गई है एवं भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है। Food safety and Standards Act, 2006 के धारा 52(1) में वर्णित है कि " Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees." इसी प्रकार धारा 52 (2) में वर्णित है कि " The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed. Food safety Officer के अनुसार दिनांक– 18.10.2022 को दुकान से Laddu का सैम्पल जॉच हेतु लिया गया था। उस समय लिया गया सैम्पल की कुल मात्रा लगभग 3,000/– (तीन हजार) रू0 की होगी।'' अतएव उक्त के आलोक में **श्री आशिष मिश्रा, मेसर्स महाराज होटल, चाँदनी चौक, खरसावाँ, जिला- सरायकेला-खरसावाँ** द्वारा दिये गये क्षमायाचना के आलोक में ऐसी पुनरावृति न होने के शर्त पर 1500/– (एक हजार पांच सौ) रू0 निर्धारित शीर्ष – **मुख्य शीर्ष-0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य** **उप-मुख्यशीर्ष -04-लोक स्वास्थ्य** **लघु शीर्ष -104-फीस और अर्थदण्ड आदि** **उप शीर्ष -01-शुल्क एवं जुर्माने** **विस्तृत शीर्ष -01-प्राप्तियां**	

	इकाई-01-प्राप्तियां में एक सप्ताह के अंदर जमा करने हेतु दण्ड अधिरोपित किया जाता है। साथ ही Food Safety Officer एवं **श्री आशिष मिश्रा, मेसर्स महाराज होटल, चाँदनी चौक, खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ** को आदेश दिया जाता है कि संबंधित खाद्य पदार्थ को नष्ट कर सूचित करें। अभिलेख दिनांक– 13/06/2023 को उपस्थापित करें। 07/6/23 अपर उपायुक्त–सह– न्याय निर्णयन पदाधिकारी सरायकेला–खरसावाँ।	
13.06.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रतिवादी श्री आशिष मिश्रा, मेसर्स महाराज होटल, चाँदनी चौक, खरसावाँ, जिला- सरायकेला-खरसावाँ के द्वारा ई–चालान GRN No- 2317639505, दिनांक 09.06.2023 के द्वारा शीर्ष 021004104010101 में दण्ड की राशि 1500/– (एक हजार पांच सौ) रू0 जमा कर दी गई है। अतः अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है। लेखापित। अपर उपायुक्त-सह- न्याय निर्णयन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ। 13/06/23 अपर उपायुक्त -सह- न्याय निर्णयन पदाधिकारी सरायकेला-खरसावाँ।	

Digitally signed by SUBODH KUMAR
Date: 2023.06.21 15:32:25 +05:30
Location: 192.168.43.213